न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनु

मु०न०	किस्म मु०	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
89/17	धारा 91	11.9.17	27.11.2017

उनवान सरकार बनाम रामेश्वर पुत्र रेखाराम जाति मेघवाल निवासी मोई सददा बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी उपस्थित। मामला संक्षित में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2074 में इस आशय की रिर्पोट प्रस्तुत की है कि ग्राम मोई सददा की राजकीय भूमि गै0मु0 जोहड ख0न0 180/3 रकबा 34.97 किस्म गै0मु0 जोहड मे से 0.01 है0 भूमि पर अतिकमी रामेश्वर पुत्र रेखाराम जाति मेघवाल निवासी मोई सददा तहसील बुहाना ने अवैध रूप से मकान बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत अतिकमण किया गया है।

रिर्पोट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अविकमी उपस्थित हुआ। जबाब में कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काबिज नियमन नही है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू0 राजसव अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर बहस रिर्पोट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये मकान के दण्ड स्वरूप शरह लगान 6.61 का अतिकनण शुदा भूमि के लगान 0.07 की 50 गुणा जुर्माना राशि 4 /— रू बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफतर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 27.11.17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

27/11/17

उप तहसीलदार

सिंघाना झुन्झुनु

Scanned with CamScanner